

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

सन्तोष बनाम अनिता देवी वगैर

G.C.M.S-2025/74

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

मुकदमा नम्बर :- 27 / 2025

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28.02.2025	<p>प्रार्थी की ओर से प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम- 1955 के तहत पेश हुआ। प्रा० पत्र दर्ज रजिस्टर हो। प्रा० पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रार्थी के वकील ने अपनी अंतरिम बहस प्रार्थना पत्र में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड व दस्तावेजात के अवलोकन से पत्रावली में गुवावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी के पक्ष में अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है अतः प्रार्थी की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तलबी आगामी पेशी दिनांक 07/3/25 को पेश हो।</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p> <p>वकीलों द्वारा आज कण्डोलेस/काय स्थिति में पत्रावली से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 1.2.1.3.2.2.2.2 को पेश हो</p>	
71712	19/3/25	<p>व. प्रार्थी द्वारा पत्रावली अन्तर्गत तलबी के खर्च आगामी दिनांक 20/3/25 के पेश हो</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	
	27/3/25	<p>व. प्रार्थी द्वारा पत्रावली अन्तर्गत तलबी के खर्च आगामी दिनांक 14/5/25 के पेश हो</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	
	14/5/25	<p>पत्रावली पेश हुई। न्यायालय के समक्ष पेश होने पर वकील प्रार्थी के बार-बार आवाज दिलायी गयी। वकील प्रार्थी न्यायालय पर कमलवन अनुपस्थित हो (सं. पत्रावली) खर्च अन्तर्गत पत्रावली के खर्च को पत्रावली दर्ज पत्रावली के व तथा दायित्व खर्च हो</p> <p>सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)</p>	